# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

## पीठासीन अधिकारी :—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—85 / 2024

प्रार्थीगणः:—

1. खेताराम पुत्र राणाराम
2. गूंगाराम पुत्र राणा
3. गपाराम पुत्र नैनाराम
4. गोकाराम पत्र राणाराम
5. चुनाराम पुत्र रताराम
6. जोगाराम पुत्र नैनाराम
7. निम्बाराम पुत्र रताराम
8. पारसराम पुत्र राणाराम
9. वगताराम पुत्र रताराम
10. वागाराम पुत्र राणाराम
11. बींजाराम पुत्र नैनाराम
12. सुकीदेवी पत्नी नैनाराम
13. सुमेराराम पुत्र नैनाराम

सभी जाति मेघवंशी निवासी रावतनगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**—::बनाम::—**

विप्रार्थीगणः:—

1. कंकरदेवी पत्नी पोलाराम
2. कमियादेवी पुत्री पोलाराम
3. भंवराराम पुत्र पोलाराम
4. उमाराम पुत्र पोलाराम
5. कालाराम पुत्र शंकरराम
6. घेवरराम पुत्र लक्ष्मणाराम
7. चतराराम पुत्र मसराराम
8. दलाराम पुत्र शंकराराम
9. दिनेश कुमार पुत्र पोलाराम
10. पवनीदेवी पुत्री पोलाराम
11. बगसू पत्नी मसराराम
12. भटराम पुत्र पोलाराम
13. भूम्बाराम पुत्र मसराराम
14. भेराराम पुत्र शंकराराम
15. भीखाराम पुत्र मसराराम
16. मदाराम पुत्र मसराराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

17. मोहनराम पुत्र पोलाराम

18. रिंकू कुमारी पुत्री पोलाराम

19. सुराराम पुत्र पोलाराम

20. हेमी पत्नी शंकरराम

21. हस्तुदेवी पत्नी पोलाराम

सभी जातिगण मेघवाल निवासीगण पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

22. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोकलसर

23. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पादरू

24. राजस्थान सरकार जरिय भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री किशोरीलाल सोनी वकील प्रार्थीगण
2. श्री कैलाशपुरी वकील विप्रार्थी संख्या 3 से 9 व 11 से 21
3 विप्रार्थीगण 1,2,10 ,22 व 23 अनुपस्थित।

## :: आदेश::

दिनांकः— 26.02.2026

प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 24 रकबा 14.7710 हैक्टेयर ग्राम रावतनगर तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिण की ओर लगती विप्रार्थी सं. 1 से 21 की खातेदारी भूमि ख.स. 25 अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शित बिन्दू संख्या ए से बी विप्रार्थी सं. 1 से 21 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थी संख्या 1 से 21 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में व्यवधान पैदा [illegible] अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते [illegible] में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आ[illegible] प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 21 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई।

विप्रार्थी संख्या 3 से 9 व 11 से 21 की ओर से वकील श्री कैलाशपुरी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, दीगर विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 4 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2026/535 दिनांक 02.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौका आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 24 (सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 78) में आवगमन हेतु उक्त खसरे के उत्तर में खसरा संख्या 86 व 92 की माठ पर रास्ता मौके पर चल रहा है राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त रास्ता का मौका रिपोर्ट में अंकन नहीं किया गया है लिहाजा मौका रिपोर्ट पुनः तलब की जावे। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट पुनः तलब की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2025/297 दिनांक 26.02.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट पुनः प्रेषित की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा रावतनगर तहसील सिवाना में अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं खसरा संख्या 24 (सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 78) रकबा 14.7710 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 21 की खातेदारी भूमि सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 104) की बदिशा पश्चिम पर प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से इसी रास्ते से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते हेतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रस्तावित भूमि, को सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थीगण रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 21 को देने हेतु सहमत है, लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 21 की खातेदारी भूमि में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट नजरी नक्शा में दर्शित बरंग हरा अनुसार गै.मु. रास्ता घोषित किया जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता ने मौका आपत्ति के पश्चात प्राप्त मौका रिपोर्ट पर किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया । तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में खसरा संख्या 78 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या1 से 21 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 104 इकलौता एव निकटतम स्त्रोत है पूर्व में उक्त जगह पर रास्ता प्रचलन में था जो अब विप्रार्थी संख्या 1 से 21 ने बन्द कर दिया है तहसीलदार सिवाना द्वारा पूर्व में प्रेषित मौका रिपोर्ट विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आपत्ति के सम्बन्ध में तहसीलदार सिवाना द्वारा पुनः प्रेषित मौका रिपोर्ट स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ते विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 104 के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक,निकटतम रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रावतनगर तहसील सिवाना की ख.सं. 78 में आवागमन हेतु [illegible] 1 से 21 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 104 में से [illegible] 104 मीटर [illegible]ड़ाई 4 मीटर कुल रकबा 0.0488 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित [illegible]का रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में मे दर्शित हरा अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में तहसीलदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 21 को दी जावे, विप्रार्थी संख्या 1 से 21 के द्वारा राशि लेने से इन्कार करने की स्थिति उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2025/535 दिनांक 02.04.2025 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक भू-नक्शा फोटो कॉपी
ग्राम - रावतनगर
पटवार मण्डल पं०
तहसील - सिवाना

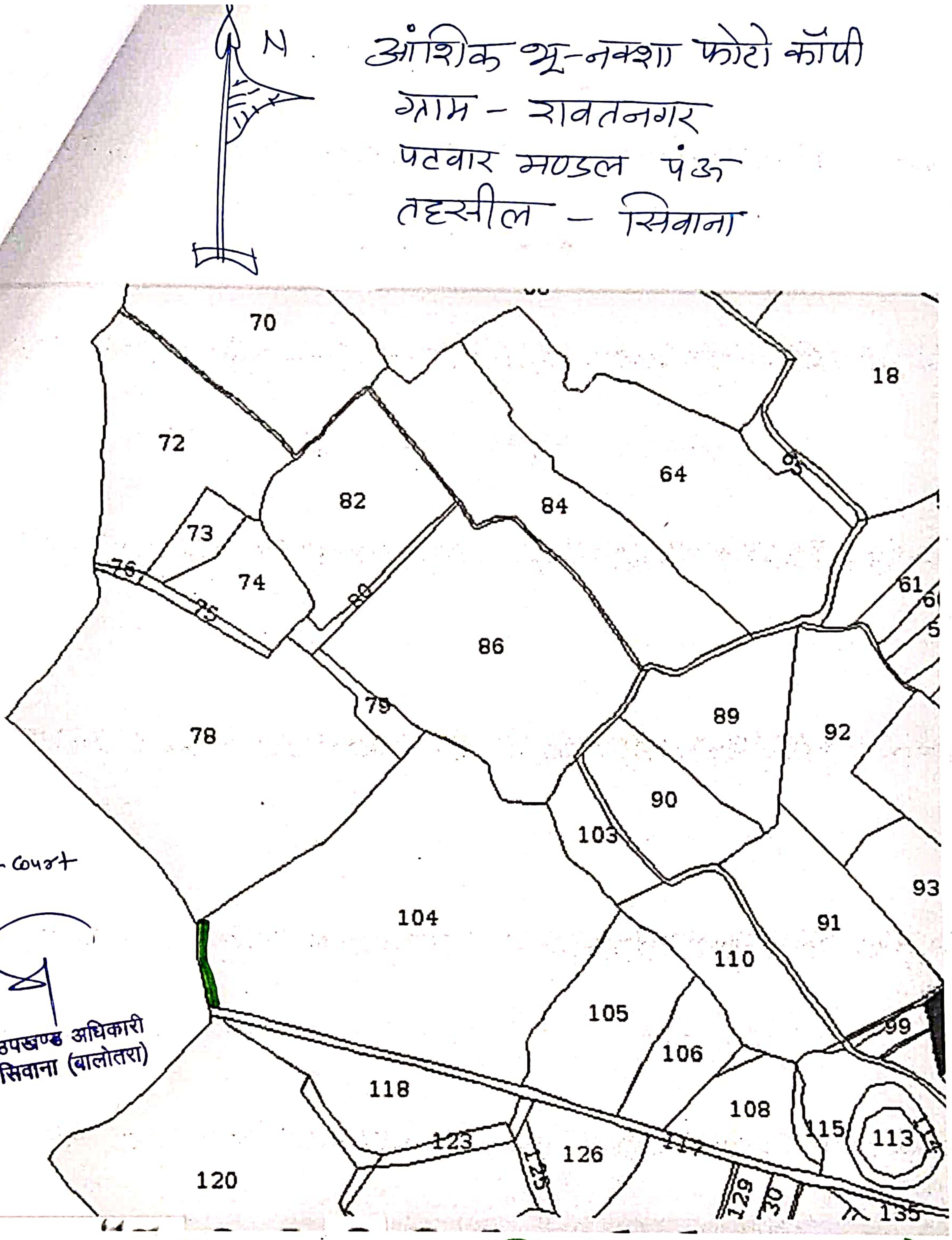


EX-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संकेत - प्रस्तावित नक्शा रास्ता हेतु

खेताराम

पारसमल

सत्य प्रतिलिपि

अं.नि. जोगाराम

अं.नि. चुनाराम

अं.नि. भगताराम

रमेश

11/06/25
प.पं.

प.पं.

11-06-25
ILR पाटक

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested